न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर (राज0)
पीठासीन अधिकारी : रिछपाल सिंह बुरड़क, आर०ए०एस०

अपील संख्या 86/2019

1– जोरूराम पुत्र श्री सुजाराम
2– गोपीराम पुत्र श्री बेगाराम
3– गोपाल पुत्र श्री मोहनराम
समस्त जाति जाट निवासीगण श्यामनगर तहसील नावां जिला नागौर राज0
.....अपीलान्ट

बनाम

1–तहसीलदार नावां, तहसील नावां जिला नागौर राज0।

2– पटवारी हल्का घाटवा, तहसील नावां जिला नागौर ।

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता–

1–श्री चेनाराम थोरी अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

अपील विरूद्ध निर्णय राजस्व प्रकरण अधीन धारा एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 बअनुवान सरकार जरिये पटवारी हल्का घाटवा बनाम जोरूराम व अन्य प्रकरण संख्या 02/2019

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

निर्णय

दिनांक : 15.03.2021

{1} –यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार नावां के प्रकरण सं0 02/2019 बअनुवान पटवारी हल्का घाटवा बनाम जोरूराम व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12.06.2019 के विरूद्ध पेश की है।

{2} अपील के सक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का घाटवा ने अपीलान्ट/अप्रार्थीगण के विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार नावां को रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट/अप्रार्थीगण ने मौजा ग्राम श्यामनगर के खसरा नम्बर 86 रकबा 0.10 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम सरकारी भूमि पर चार दिवारी व

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

लेटबाथ बनाकर अतिक्रमण किया है तथा अतिक्रमियों को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट/अप्रार्थीगण को राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत जरिये नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/अप्रार्थी द्वारा मौजा श्याम नगर के खसरा नम्बर 186 रकबा 0.10 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम की भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर अप्रार्थीगण द्वारा किया गया अतिक्रमण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लघंन होने से अतिक्रमण की श्रेणी में पाया गया। अतः अप्रार्थीगण को अतिक्रमी माना जाकर मौजा श्यामनगर के खसरा नम्बर 186 रकबा 0.10 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम से बेदखल किये जाने का आदेश दिया गया, एवं संवत 2076 की वार्षिक लगान दर 0.50 रूपये के 50 गुणा से जुर्माना रूपये 25/– अक्षरे पच्चीय रूपये कायम किया गया व पटवारी हल्का को अपीलान्ट के विरूद्ध जुर्माना वसूली हेतु एवं भौतिक रूप से बेदखली के आदेश दिये।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 09.08.19 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील को दिनाक 09.08.19 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड हेतु तलबी जारी की गयी। । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व जवाब दिनांक 22.8.2019 को प्राप्त जो शामिल मिसल किया। वकील अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि उक्त मुतनाजा भूमि की मौका जॉच रिपोर्ट मंगाई जावे जिससें यह साबित हो कि अतिक्रमण वर्तमान का है या पुराना है। मौका रिपोर्ट हेतु तहसीलदार नावां को पत्र क्रमाक : 917 दिनांक 30. 8.2019 लिखा गया तथा तहसीलदार नावां से न्यायालय हाजा को मौका जॉच रिपोर्ट दिनांक : 04.09.2019 प्राप्त हुयी जो शामील मिसल की गयी।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

{3} –वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यो को दोहराते हुए तर्क दिया है कि:–

{3}(1)–यह है अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं आरोपित शास्ती दण्डादेश अधीन अपील कानून के प्रतिपादित सिद्धान्तो के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(2) –यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय अधीन अपील पारित करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रृटि की है, योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(3) – यह है कि यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अधीन अपील न्याय के सामान्य सिद्धान्तो के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(4) – यह है कि तहसीलदार नावां द्वारा पूर्णरूप से विधि विरूद्ध तरीके से उक्त कार्यवाही की गई है। अपीलार्थीगण द्वारा जिस भूमि पर पटवारी हल्का अतिक्रमण मानकर रिपोर्ट पेश की गई है एवं जिस पर तहसीलदार नावां द्वारीा जुर्माना व बेदखल करने का आदेश पारित किया है वह निरस्त किया जाने योग्य है।

{3}(5) – यह है कि राजस्व ग्राम श्यामनगर की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 186 भूमि में से 0.10 हैक्टर भूमि का आपके द्वारा जारी नोटिस में हम अपीलार्थीगण ने ग्राम श्यामनगर के खसरा नम्बर 186 की भूमि में से 0.10 हैक्टर भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही किया हुआ है । हम अपीलार्थीगण का उक्त भूमि पर पीढियो से कब्जा चला आ रहा हैं हमने उक्त भूमि में हमारे आवासीय मकान बना रखे हैं तथा सहपरिवार निवास करते आ रहे है।

{3}(6) – यह है कि अपीलार्थीगण का सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी के शिकायत के आधार पर उक्त आदेश पारित किया गया है। हल्का पटवारी से अपीलार्थी के अधिवक्ता को

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

किसी प्रकार का जिरह करने का अवसर नहीं दिया गया है। अपीलार्थीगण को न ही सुनवाई का अवसर दिया गया है तथा हल्का पटवारी द्वारा बिना नाप चौंक किये गलत तथ्यो के आधार पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उक्त भूमि अपीलार्थीगण के कब्जा व स्वामित्व सुदा है।

{3}(7) – यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी के बयानो के दौराने अधिवक्ता अपीलान्ट का किसी प्रकार की जिरह का मौका नहीं दिया गया हे, ना ही सनवाई का कोई मौका दिया गया है एवं पटवारी हल्का द्वारा बिना नाप के गलत रिपोर्ट दी गई है उक्त भूमि अपीलान्ट की स्वामित्व सुदा भूमि है। अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के अन्त निवेदन किया कि अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त फरमावें।

{4} – प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निर्णित करने से पूर्व उसके मियाद में होने के संबंध में धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी द्वादा अपील निर्धारित समयावधि से विलम्ब से प्रस्तुत कराने के संबंध परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के विरूद्ध निर्णय दिनांक 12.06.2019 को हुआ है तथा जिसकी जानकारी दिनांक 08.08.2019 को नकल प्राप्त करने से हुयी है, इससे पूर्व उक्त आदेश की जानकारी प्रार्थी को कभी भी नहीं हुई है। प्रार्थी ने आगे निवेदन किया है कि वह अनपढ ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति होने के कारण अपने अधिवक्ता से समय पर सम्पर्क नहीं कर सकें। अतः अपील में हुयी देरी माफ योग्य है जिससे अवधि दिनांक 12.06.2019 से अपील पेश करने में हुई देरी को कण्डोन किये जाने के आदेश फरमावे। अपीलार्थी को जानकारी का अभाव होने से तथा अनपढ व ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति होने से सहानुभूतिपूर्व विचार किया जाकर अवधि दिनांक 12.6.2019 से अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन किया जाकर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

{5} – बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया व मनन किया गया। पटवारी हल्का घाटवा की रिपोर्ट, जिसकी जॉच भू0अ0निरीक्षक घाटवा द्वारा की गयी, जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा ग्राम श्यामनगर के खसरा नम्बर 186

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

रकबा 0.10 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम पर चार दिवारी तथा लेटबाथ बनाकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अप्रार्थीगण/अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। दिनांक 02.05.2019 को अपीलान्ट/अप्रार्थीगण स्वमं मय अधिवक्ता के अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए हैं।

अतः अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट का नोटिस स्वयं द्वारा तामील किया गया है तथा अपीलान्ट स्वयं दिनांक 14.05.2019 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ। जिससे यह साबित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को पूर्णरूप सुनवाई का अवसर देकर निर्णय किया है तथा अपीलान्ट उक्त प्रश्नगत राजकीय भूमि पर विधि विरूद्ध रूप से दिवार व लेटबाथ बनाकर सरकारी भूमि पर नाजायज अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का घाटवा ने भी दिनांक 03.09.2019 की मौका रिपोर्ट में अपीलान्ट/अप्रार्थीगण का पुराना अतिक्रमण करना बताया है। वर्तमान प्रकरण किसी आवंटन एवं नियमन के आदेश की अपील न होकर प्रकरण अतिक्रमण बेदखली का होने से इस पर विचार कर निर्णय लिया जाना हैं अतिक्रमण करने से अपीलान्ट को कोई स्वत्व व अधिकार अर्जित नहीं होते हैं। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की कार्यवाही समरी कार्यवाही है। तहसीलदार को राजकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने के अधिकार है। धारा 91 में यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति द्वारा भूमि पर बिना विधि संगत प्राधिकार के अधिवास या कब्जा कर रखा हो, उसे अतिचार समझा जायेगा तथा उसे तुरन्त बेदखल किया जा सकता है। अगर कब्जा पुराना है तो अपीलान्ट को अलग से कार्यवाही करनी होगी। हस्तगत प्रकरण में कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत कार्यवाही कर अपीलान्ट को बेदखली का आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

:::: आदेश ::::

अतः अपीलान्ट की अपील खारीज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 22.08.2019 यथावत रखा जाता है।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 15.03.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)